R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VII ◆ अंक 7
जनवरी 2011

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

शहरी सहकारी बैंक

व्यवसाय प्रतिनिधियों/व्यवसाय सुविधादाताओं का प्रयोग

बेहतर वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अपने परिचालन क्षेत्रों में मूलभूत और उपयुक्त बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में उनकी पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक अब सूचना और संचारण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) समाधान का प्रयोग करते हुए व्यवसाय सुविधादाता (बीएफ)/व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) की सेवाओं के लिए सुप्रबंधित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करेगी। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से व्यवसाय सुविधादाता/व्यवसाय प्रतिनिधि के प्रयोग के लिए एक योजना तैयार करेंगे और उसे रिज़र्व बैंक की संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश निम्नानुसार है :

पात्रता

शहरी सहकारी बैंक जो निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करते है वो व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सुविधादाता की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पात्र है।

(क) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) 10 प्रतिशत से अधिक हो;

(ख) निवल अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) 5 प्रतिशत से कम हों;

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव में कोई चूक न की हो;

(घ) पिछले तीन वर्ष में लगातार निवल लाभ अर्जित किया हो;

(ङ) बोर्ड में कम-से-कम दो चुने गए व्यावसायिक निदेशक हो; और

(च) अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/निदेशों के प्रावधानों के अनुपालन के अभिलेख पर आधारित विनियामक सुगमता हो।

व्यवसाय सुविधादाता प्रतिदर्श

पात्र संस्थाएं : व्यवसाय सुविधादाता प्रतिदर्श के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंक के सुगमता के स्तर के अनुरूप बिचौलियों का प्रयोग कर सकती है। इसमें समितियों/न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित गैर-सरकारी संस्थाएं (एनजीओ)/लघु वित्त संस्थाएं (एमएफआइ), किसान क्लबों, सहकारी समितियों, प्राथमिक और ऋण सहकारियों को छोड़कर समुदाय आधारित संस्थाओं, कार्पोरेट संस्थाओं के सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित ग्रामीण दुकाने, डाकघर, बीमा एजेंट, सु-कार्यरत पंचायतों, गाँवों का ज्ञान केंद्र, कृषि औषधालय/कृषि व्यवसाय केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, खादी ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआइसी)/ग्रामीण उद्योग बोर्ड (केवीआइबी) इकाइयों और व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक तथा उनके संबंधी और कार्यरत कर्मचारी व्यवसाय सुविधादाता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं है।

गतिविधियों का दायरा : गतिविधियों के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे - (i) उधारकर्ताओं की पहचान और कार्य का दायरा, (ii) ऋण आवेदन पत्र एकत्र करना और उनकी प्राथमिक प्रोसेसिंग जिसमें प्राथमिक सूचना/आंकड़ों का सत्यापन शामिल है, (iii) बचत और अन्य उत्पादों के संबंध में जन-जागृति फैलाना तथा धन प्रबंधन के संबंध में शिक्षण और सलाह देना तथा ऋण संबंधी परामर्श देना; (iv) शहरी सहकारी बैंकों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना और उनकी प्रोसेसिंग करना; (v) स्वयं-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को प्रवर्तित करना और प्रोत्साहित करना; (vi) ऋण मंजूरी के बाद निगरानी करना; (vii) स्वयं-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों/ऋण समूह/अन्य समूहों की निगरानी करना; (viii) ऋण की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना;

जहाँ व्यवसाय सुविधादाता के रूप में व्यक्तियों की सेवाएँ ली जाती है वहाँ शहरी सहकारी बैंकों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और सही निगरानी रखनी चाहिए।

व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिदर्श

पात्र संस्थाएं : व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिदर्श के अंतर्गत समितियों/न्यास अधिनियम के अंतर्गत स्थापित गैर-सरकारी संस्थाएँ/लघु वित्त संस्थाएं, परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम अथवा राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों को छोड़कर प्राथमिक/सहकारी ऋण समितियाँ, डाकघर, सेवा निवृत्त बैंक कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, सेवा निवृत्त

विषय सूची — पृष्ठ

शहरी सहकारी बैंक
व्यवसाय प्रतिनिधियों/व्यवसाय सुविधादाताओं का प्रयोग 1
नीति
आवास ऋण - एलटीवी अनुपात/जोखिम भार/प्रावधानीकरण 3
सांविधिक चलनिधि अनुपात घटाया गया 3
अपरिवर्तनीय डिबेंचर 3
शाखा बैंकिंग
निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी 3
भुगतान प्रणाली
चेक संग्रहण प्रभार संशोधित 4
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान 4

शिक्षक, सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी, एकल किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार, एकल सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) ऑपरेटर, भारत सरकार/बीमा कंपनियों के लघु बचत योजनाओं के एजेंट, एकल व्यक्ति जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, बैंकों से जुड़े सुचारू रूप से चल रहे स्व-सहायता समूहों के प्राधिकृत कार्यकर्ता अथवा अन्य कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते है। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक और उनके सगे संबंधी तथा शहरी सहकारी बैंकों के सेवारत कर्मचारी व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं है। शहरी सहकारी बैंक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों की भी सेवाएँ ले सकते है बशर्ते धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियाँ एकल संस्थाएं हैं अथवा धारा 25 की कंपनियाँ जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बैंक, टेलीफोन कंपनियाँ और अन्य कार्पोरेट संस्थाएं अथवा उनकी धारित कंपनियों का ईक्विटी होल्डिंग 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की शहरी सहकारी बैंक यदि व्यवसाय प्रतिनिधियों की उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आनेवाली अन्य किसी संस्था/संगठन की व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में सेवा लेना चाहती है तो उन्हें उचित जाँच के बाद गुवाहाटी में स्थित रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी अनुमति दी गई है कि वे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यवसाय प्रतिनिधियों को उचित और पर्याप्त सुरक्षा के साथ लेनदेन की तारीख से दूसरे कार्य-दिवस के अंत तक बैंक की बहियों में लेनदेनों को दर्ज़ करें।

गतिविधियों का दायरा: व्यवसाय सुविधादाता प्रतिदर्श के अंतर्गत दी गई गतिविधियों के अतिरिक्त व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा की जानेवाली गतिविधियों के दायरे में निम्नलिखित शामिल है : (i) अल्प मूल्य वाले ऋणों का वितरण करना; (ii) मूल धन की वसूली/ब्याज एकत्र करना; (iii) अल्प मूल्य वाली जमाराशियों का संग्रह; (iv) माइक्रो बीमा/म्युचुअल फंड उत्पाद/पेंशन उत्पाद/अन्य थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री और (v) अल्प मूल्य वाले प्रेषणों/अन्य अदायगी लिखतों की प्राप्ति और वितरण।

व्यवसाय प्रतिनिधि वही कारोबार करेंगे जो बैंकों के सामान्य बैंकिंग कारोबार हैं, लेकिन उन्हें बैंकिंग प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां बैंक परिसर नहीं हैं।

व्यवसाय प्रतिनिधि के साथ की गयी व्यवस्था में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा :

- नकदी रखने की उपयुक्त सीमा तथा वैयक्तिक ग्राहक के भुगतान और जमा की सीमा;
- सभी लेनदेनो का लेखांकन होना चाहिए तथा दिवस की समाप्ति तक बैंक की बहियों में उनकी प्रविष्टि होनी चाहिए; और
- ग्राहक के साथ किए गए सभी करार /संविदाओं में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सुविधादाता के सभी कार्यों और त्रुटियों के लिए ग्राहक के प्रति जिम्मेवार होगा।

व्यवसाय प्रतिनिधियों के कार्यों और गतिविधियों का पर्याप्त पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यवसाय प्रतिनिधि मूल शाखा के नाम से जानी जानेवाली एक विशिष्ट बैंक शाखा की देखरेख में होगा। व्यवसाय प्रतिनिधि के कारोबार का स्थान और मूल शाखा के बीच की दूरी ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में 30 कि.मी. और उपनगरीय केंद्रों में 5 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधियों की सेवाएं लेते समय शहरी सहकारी बैंकों को कड़ाई से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय प्रतिनिधियों का कार्यक्षेत्र अपने पात्र परिचालन क्षेत्र के भीतर है।

शहरी सहकारी बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त की जानेवाली प्रस्तावित संस्थाओं की संपूर्ण जाँच करनी चाहिए और एजेंसी जोखिम को कम करने के लिए जैसा उचित समझें अतिरिक्त सुरक्षा भी स्थापित करनी चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में बिचौलियों की सेवाएं लेते समय शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुस्थापित है, उनकी साख अच्छी है तथा स्थानीय लोगों को उन पर विश्वास है। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस स्थान का स्थायी निवासी है जिस क्षेत्र में वह व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहता है। शहरी सहकारी बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा नियुक्त किए गए बिचौलिए के बारे में स्थानीय रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए और उनके नाम का दुरूपयोग होने से बचने के लिए उपाय करने चाहिए।

यदि शहरी सहकारी बैंक द्वारा नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधि मूल स्तर पर व्यवसाय प्रतिनिधि की सेवाएं प्रदान करने के लिए उप-एजेंट नियुक्त करना चाहता है तो शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि : (i) व्यवसाय प्रतिनिधियों के उप-एजेंट व्यवसाय प्रतिनिधि के लिए निर्धारित सभी संबंधित मानदण्डों को पूरा करते हैं; (ii) उनके द्वारा नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधि अपने उप-एजेंटों के संबंध में संपूर्ण जाँच करते है ताकि साख बनी रहे और जोखिमों से बचा जा सके; और (iii) सभी उप-एजेंटों के मामलों में मूल शाखा से लागू 30 कि.मी./5 कि.मी. की दूरी का मानदण्ड अनिवार्य रूप से पूरा किया जाता है। साथ ही, जहाँ एकल व्यक्ति को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो वे उप-एजेंट नहीं नियुक्त कर सकते हैं।

सेवा प्रभार/कमीशन/शुल्क

व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिदर्श की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों (व्यवसाय प्रतिनिधि नहीं) को व्यापक अनुमोदन नीति के अंतर्गत एक पारदर्शी तरीके से ग्राहकों से उचित सेवा प्रभार प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिदर्श के माध्यम से दी जानेवाली बैंकिंग सेवाएं जिन ग्राहकों को दी जा रही है उनके प्रोफाइल को देखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिदर्श के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्त सेवा प्रभार/शुल्क उचित और सही हो। शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों से लगाए गए प्रभार गैर-पारदर्शी/उचित नहीं है जैसी शिकायतें नहीं अपनी चाहिए। इस संबंध में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनाई गई कोई भी अनुचित प्रथाओं पर रिज़र्व बैंक कड़ाई से कार्रवाई करेगी।

शहरी सहकारी बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सुविधादाता को तर्कसंगत कमीशन/शुल्क दे सकते हैं, जिनकी दर और मात्रा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधि /व्यवसाय सुविधादाता के साथ किये गये करार में इसका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए कि बैंक की ओर से उनके द्वारा दी गयी सेवा के लिए वे ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लेंगे।

शिकायत निवारण

शहरी सहकारी बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि और व्यवसाय सुविधादाता द्वारा दी गयी सेवाओं के संबंध में शिकायत निवारण के लिए बैंक के भीतर एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यमों से उसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। बैंक के निर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क टेलीफोन नं. वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधि और मूल शाखा के परिसरों में शिकायत निवारण अधिकारी की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए। निर्दिष्ट अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की सच्ची शिकायतें शीघ्र दूर की जाती हैं।

बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया और शिकायतों के उत्तर भेजने के लिए नियत समय सीमा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित होनी चाहिए।

यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत जमा करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त करता है तो उसे यह विकल्प रहेगा कि वह अपनी शिकायतों के निपटान के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल कार्यालय (यदि शिकायत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के विरूद्ध है) अथवा रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

अपने ग्राहक को जानिए

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदण्डों का अनुपालन शहरी सहकारी बैंक की जिम्मेदारी बनी रहेगी। चूँकि इसका उद्देश्य कम सुविधावाले एवं बैंकिंग सुविधा रहित जनसंख्या को बचत एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, अत: शहरी सहकारी बैंक को चाहिए कि अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों के अंतर्गत समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत लचीला रूख अपनाएं। किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अपने ग्राहक को जानिए में कुशल हो द्वारा प्रारंभिक शुरूआत के अतिरिक्त शहरी सहकारी बैंक, व्यावसायिक प्रतिनिधि, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रमुख, संबंधित डाक घरों के डाकपाल अथवा बैंक द्वारा पहचाने जानेवाले किसी अन्य सरकारी अधिकारी द्वारा बिचौलिए के रूप में जारी पहचान पत्र पर भी निर्भर रह सकते हैं।

अन्य शर्तें

व्यवसाय सुविधादाताओं/व्यवसाय प्रतिनिधियों के रूप में बिचौलियों की नियुक्ति में साख, कानूनी और परिचालनगत जोखिम अत्यधिक होती है इसीलिए शहरी सहकारी बैंकों को इन जोखिमों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्हें लागत प्रभावी रूप से पहुँच को बढ़ाने के अलावा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को अपनाने का प्रयास भी करना चाहिए।

व्यवसाय सुविधादाता/व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिदर्श के कार्यान्वयन को शहरी सहकारी बैंकों को नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा समीप से निगरानी करनी चाहिए। उन्हें अपने शाखाओं की आवधिक दौरों के दौरान व्यवसाय सुविधादाताओं/व्यवसाय प्रतिनिधियों की कार्यपद्धति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों को बोर्ड स्तर पर व्यवसाय सुविधादाता/व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिदर्श के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा के लिए संस्थागत प्रणाली भी रखनी चाहिए।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधियों के संबंध में जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करनी चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट में भी व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिदर्श के माध्यम से दी जा रही बैंकिंग सेवाओं के संबंध में हुई प्रगति और इस संबंध में किए गए उपायों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

नकदी प्रबंधन को सही करने के लिए शहरी सहकारी बैंक जहाँ कहीं आवश्यक हो उचित नकदी परेषण बीमा के साथ 'नकदी मार्ग' (विभिन्न व्यवसाय प्रतिनिधियों को जोड़ना जो आधार शाखा से एक-दूसरे से जुड़े है) अपनाने पर विचार कर सकती है।

शहरी सहकारी बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधियों की स्थापना की प्रारंभिक लागत और अन्य लागतों का भुगतान करना चाहिए और कम-से-कम प्रारंभिक चरण के दौरान व्यवसाय प्रतिनिधियों की सहायता करनी चाहिए। शहरी सहकारी बैंक व्यवसाय प्रतिनिधियों को उचित अस्थायी ओवर ड्राफ्ट उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं।

नीति

आवास ऋण - एलटीवी अनुपात/जोखिम भार/प्रावधानीकरण

रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों द्वारा मंजूर आवास ऋण के संबंध में उपायों की घोषणा की है। वे निम्नानुसार है :

मूल्य के प्रति ऋण अनुपात

अत्यधिक लीवरेजिंग को रोकने के लिए अब से आवास ऋणों से संबंधित एलटीवी अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कम मूल्य के आवास ऋण अर्थात् 20 लाख रुपये तक के आवास ऋणों (जिन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है) का एलटीवी अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में बैंकों के आवास ऋण एक्सपोज़र के संबंध में एलटीवी अनुपात पर कोई विनियामक उच्चतम सीमा नहीं थी।

जोखिम भार

उच्च मूल्य वाले आवासीय बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए अब से 75 लाख रुपये और उससे अधिक राशि वाले रिहायशी आवास ऋणों के लिए जोखिम भार 125 प्रतिशत होगा। पूर्व में 75 प्रतिशत तक एलटीवी अनुपात वाले रिहायशी आवास ऋणों के मामले में जोखिम भार 30 लाख रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत और उससे अधिक ऋण पर 75 प्रतिशत था। यदि एलटीवी अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक है तो सभी आवास ऋणों के लिए जोखिम भार 100 प्रतिशत था, चाहे ऋण की राशि कुछ भी हो।

प्रावधानीकरण

बैंकों द्वारा लुभावने दरों पर आवास ऋणों की मंजूरी के साथ जुड़े उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण को 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.00 प्रतिशत कर दिया गया है। इन आस्तियों पर प्रावधानीकरण उस तारीख से 1 वर्ष बाद पुनः 0.40 प्रतिशत हो जाएगा जिस तारीख को दरों को उच्चतर दरों पर पुनर्निर्धारित किया गया हो।

सांविधिक चलनिधि अनुपात घटाया गया

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) 18 दिसंबर 2010 से अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत किया गया।

अपरिवर्तनीय डिबेंचर

एनसीडी में निवेश

इसके आगे से बैंक कॉर्पोरेटों (एनबीएफसी सहित) द्वारा जारी एक वर्ष की वास्तविक अथवा प्रारंभिक परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) में निवेश कर सकेंगे। ऐसे लिखतों में निवेश करते समय, तथापि बैंकों को मौजूदा प्रभावी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों से निदेशित होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जारीकर्ता ने घोषणा दस्तावेज़ में एनसीडी को जारी करने का प्रयोजन भी बताया है और साथ ही ऐसे प्रयोजनों को भी बताया है जो बैंक वित्त के लिए पात्र है।

बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि रिज़र्व बैंक द्वारा 12 नवंबर 2003 और 10 दिसंबर 2003 को जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों से संबंधित आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करने और मूल्यनिर्धारण के लिए दिए गए दिशानिर्देश एनसीडी में किए जाने वाले बैंकों के निवेश पर लागू नहीं होगा।

एनसीडी को जारी करना

बाज़ार भागीदारों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने एनसीडी को जारी करने पर दिए गए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधन के अनुसार

- वित्तीय संस्थाएं एक वर्ष की परिपक्वता वाली एनसीडी में निवेश कर सकती हैं।
- प्राथमिक डीबेंचरों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) जो कार्यरत पूँजी सीमा नही रखती हैं, उन्हें एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली एनसीडी जारी करने की अनुमति दे दी गई है।
- विदेशी संस्थागत निवेश (एफआइआइ) एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली एनसीडी में निवेश कर सकती है, बशर्ते, वे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के मौजूदा प्रावधानों और इस संबध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हो।

शाखा बैंकिंग

निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अग्रिमों की मंजूरी के बाद के पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अपनी मौजूदा प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। जहाँ भी आवश्यक समझा जाए इसे सुदृढ बनाया जाए। उदाहरण के रूप में, प्रणालियों कौर कार्यविधियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- आवधिक प्रगति रिपोर्टों तथा उधारकर्ताओं के परिचालन/वित्तीय विवरणों की सार्थक संवीक्षा;
- सहायता प्रदत्त इकाइयों का नियमित दौरा और बैंकों के नाम प्रभारित/दृष्टिबंधित प्रतिभूतियों का निरीक्षण;
- उधारकर्ताओं की लेखा बहियों की आवधिक संवीक्षा;
- एक्सपोजर की सीमा के आधार पर स्टाक लेखापरीक्षा शुरु करना;
- उधारकर्ताओं से इस बात का प्रमाणपत्र प्राप्त करना कि निधियों का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए किया गया है और गलत प्रमाणन होने पर त्वरित कार्रवाई, जो आवश्यक हो, प्रारंभ करना जिसमें संस्वीकृत सुविधाएं वापस लेना तथा कानूनी उपाय शामिल हो सकता

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

है। यदि उधारकर्ताओं के लेखापरीक्षकों से निधियों के विपथन/बेईमानी से आहरण संबंधी विशिष्ट प्रमाणन वांछित हो तो उन्हें एक अलग अधिदेश देना और ऋण करारों में उपयुक्त अनुबंध शामिल करना; तथा

- शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण के दौरान तथा आवधिक समीक्षाओं के समय निधियों के विपथन के सभी पहलुओं की जाँच।

भुगतान प्रणाली

चेक संग्रहण प्रभार संशोधित

रिज़र्व बैंक ने स्थानीय/बाहरी चेकों और स्पीड समाशोधन के संग्रहण प्रभारों को संशोधित किया। रिज़र्व बैंक बचत खाता ग्राहकों से संबंधित छोटे मूल्य के लेनदेनों के प्रभारों को निर्धारित करना जारी रखेगी जबकि बड़े मूल्य वाले लेनदेनों के प्रभारों को निर्धारित करने के लिए बैंकों को अधिक स्वतंत्रता दी गई है बशर्ते बैंकों द्वारा ऐसे प्रभार उचित तथा पारदर्शी तरीके से लगाए जाते है। यह अपेक्षा है कि इन उपायों से लेनदेनों का अंतरण इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में अधिक किया जाएगा। 1 अप्रैल 2011 से लागू होनेवाले संशोधित सेवा प्रभार ढाँचा निम्नानुसार है:

स्थानीय समाशोधन (सदस्य बैंकों से समाशोधन गृहों द्वारा) के लिए सेवा (प्रोसेसिंग) प्रभार

प्रणाली	वर्तमान (रु.)		संशोधित (रु.)	
	प्रस्तुतकर्ता बैंक	अदाकर्ता बैंक	प्रस्तुतकर्ता बैंक	अदाकर्ता बैंक
एमआइसीआर-सीपीसी में समाशोधन	1.00	1.00	1.00	1.50
चेक ट्रंकेशन	0.50	0.50	0.50	1.00

बाहरी चेक संग्रहण के लिए सेवा प्रभार

वर्तमान (रु.)		संशोधित (रु.)	
10,000 तक	50	5,000 तक	25
		5,000 से 10,000 तक	50*^
10,000 से 1,00,000 तक	100	10,000 से 1,00,000 तक	100*^
1,00,000 से अधिक	150	1,00,000 से अधिक	बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा

* अपरिवर्तित

^ बैंकों द्वारा ग्राहकों पर लगाए गए प्रभार की संपूर्ण अधिकतम राशि

स्पीड समाशोधन (ग्राहकों से संग्रहण बैंकों द्वारा) के अंतर्गत चेक संग्रहण के लिए सेवा प्रभार

वर्तमान (रु.)		संशोधित (रु.)	
मूल्य	सभी ग्राहकों से लिए जानेवाले सेवा प्रभार	मूल्य	बचत खातों के ग्राहकों से लिए जानेवाले सेवा प्रभार
1,00,000 तक	कुछ नहीं	1,00,000 तक	कुछ नहीं *
1,00,000 से अधिक	150	1,00,000 से अधिक	बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा

बैंक अन्य प्रकार के खातों में जमा की जानेवाली लिखतों की वसूली के लिए प्रभार निर्धारित कर सकते हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त से इतर सेवा प्रभारों का निर्धारण करते समय -

(क) उनके द्वारा लगाए जानेवाले सेवा प्रभार पर बोर्ड का अनुमोदन हो।

(ख) निर्धारित किए जानेवाले प्रभार वाजिब हो और वह लिखत के मूल्य का कोई मनमानी प्रतिशत न हो। सेवा प्रभार की संरचना निरंतर स्वरूपी न हो और उस संबंध में यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि ग्राहकों से अधिकतम कितना प्रभार लिया जाएगा, जिसमें ऐसे प्रभार भी शामिल हो, जो दूसरे बैंकों को देय हो।

(ग) सेवा प्रभारों को दर्शाते समय भारतीय बैंक संघ के दिनांक 8 अप्रैल 2010 के परिपत्र का अनुपालन किया जाए।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाए कि स्पीड समाशोधन के अंतर्गत वाली किसी भी मूल्य की लिखतों पर निर्धारित किए जानेवाले वसूली प्रभार बाह्य चेक के वसूली प्रभार से कम हो ताकि स्पीड समाशोधन को बढ़वा दिया जा सके।

(ङ) बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट/निर्धारित सेवा प्रभारों में सेवा कर को छोड़कर अन्य सभी प्रभार (डाक, कुरियर, हैंडलिंग आदि) शामिल है।

बैंको को बाहरी चेक वसूली सुविधा का प्रयोग करनेवाली वसूलीकर्ता बैंक शाखा को अदा की जानेवाली समाशोधन संबंधी प्राप्य-राशियों को आरटीजीएस/एनईएफटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान

रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया है कि मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानीकरण लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार -

(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ को अतिदेय मानक परिसंपत्तियों के 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करना चाहिए।

(ii) मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान की गणना निवल अनर्जक परिसंपत्तियों में नहीं की जानी चाहिए।

(iii) मानक परिसंपत्तियों में किए गए प्रावधानों को कुल अग्रिम से घटाने की आवश्यकता नहीं है किंतु तुलन पत्र में अलग से "मानक परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान" में दर्शाया जाना चाहिए।

(iv) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को "मानक परिसंपत्तियों का सामान्य प्रावधान" को टियर II पूँजी में शामिल करने की अनुमति है जिसमें "सामान्य प्रावधान/हानिगत आरक्षित निधि" के साथ-साथ कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अधिकतम 1.25 प्रतिशत को ही टियर II पूँजी में शामिल किया जाए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।